

D.-83d

जप्ती पत्रक

थाना - राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो छत्तीसगढ़, रायपुर
अपराध क्रमांक - 9/2015 धारा - 109, 120 बी भा0द0वि0

13(i)डी, 13(2) पीसी एक्ट 1988

दिनांक/समय/जप्ती - 03.03.2015 के 16.30 बजे

स्थान - जप्ती - नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय-रायपुर (छ0ग0)

जप्तीकर्ता अधिकारी - निरीक्षक संजय देवस्थले, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो, रायपुर छ0ग0

जिससे जप्त किया गया - के0के0बारिक पिता स्व. नारायण बारिक उम्र-37 वर्ष, निवासी-रावतपुरा कालोनी, मठपुरैना, रायपुर, स्टेनो टायपिस्ट, ना0आ0नि0मुख्यालय-रायपुर के कब्जे से।

नाम गवाह -

01. दिनेश कुमार चंद्रवंशी, पिता स्व0श्री बिहारीलाल चंद्रवंशी, उम्र-55 निवासी-दिनदयाल उपाध्याय नगर, सेक्टर-3, जूनियर एमआईजी-65, रायपुर। लेखाधिकारी नागरिक आपूर्ति निगम, मुख्यालय-रायपुर
02. सी.के.ताम्रकार, पिता स्व0 रामजी ताम्रकार उम्र-54 वर्ष, गीतांजलि नगर, सेक्टर-1, मकान नं-224, रायपुर (छ0ग0), उपप्रबंधक, ना0आ0नि0 मुख्यालय-रायपुर

विवरण - के0के0 बारिक द्वारा प्रस्तुत करने पर एक पेन ड्राइव जिसमें शिवशंकर भट्ट को प्राप्त होने वाले विभिन्न जिलों के नान कार्यालयों से प्राप्त रिश्वत की रकम का लेखा जोखा जो सुरक्षित रखा गया था जिसे शिवशंकर भट्ट द्वारा गोपनीय रखे जाने की हिदायत पर सुरक्षित रखा था। आज मिल जाने पर पास से निकाल कर प्रस्तुत करने पर एक मेटेलिक पेन ड्राइव, एच.पी. कंपनी का 8 जी0बी0, लिखा है। दूसरी तरफ V-210W लिखा है जिसमें रिश्वत के रकम का बांटे जाने वाले हिसाब का लेखा-जोखा जो "बारिक" नाम के फोल्डर में उपरोक्त लेखा-जोखा का हिसाब 127 पन्ने में मौजूद है जिसका प्रिंट आउट निकालकर पेन ड्राइव को वजह सबूत में जप्त कर सीलबंद किया गया।

गवाह -

हस्ता. जिससे जप्त किया

जप्तीकर्ता अधिकारी

02.

सत्यापन प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / एस.सी.
रायपुर (छ.ग.)